



रक्षा लेखा नियंत्रक का कार्यालय, उदयन विहार, नारंगी, गुवाहाटी- 781171
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
UDAYAN VIHAR, NARANGI, GUWAHATI- 781171
फैक्स/Fax: 0361-2640204 फोन/Ph: 0361-2640394, 2641142



सं. प्रशा./हि.क./101/वा.का.

दिनांक : 27.04.2022

सेवा में

1. सभी अधिकारी गण

मुख्य कार्यालय

All Officers of M.O.

2. प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग

All Sections of M.O.

3. समस्त अधीनस्थ कार्यालय

All Sub-Offices

(रक्षा लेखा नियंत्रक गुवाहाटी के वेबसाइट के माध्यम से / Through CDA Guwahati website)

विषय: संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्यक्रम ।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम में विहित विभिन्न मदों पर निर्धारित लक्ष्यों एवं मुख्य बातों का सार एतद्वारा आवश्यक सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु संलग्न किया जाता है ।

अनुरोध है कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए तथा अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाए । कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाए । कृपया वार्षिक कार्यक्रम पर की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाए ताकि वार्षिक कार्यक्रम से संबन्धित वार्षिक समेकित अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय कार्यालय को भिजवाई जा सके ।

वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

कृपया पावती दे ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

- हं -

(आर. के. चक्रवर्ती)

सहायक निदेशक (रा.भा।)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

✓ प्रभारी अधिकारी, सू.प्रौ. व सा.स्क.
The Office-in-charge, IT&SW

कार्यालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

रक्षा

(आर. के. चक्रवर्ती)

सहायक निदेशक (रा.भा।)

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्शन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो।	40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।